कार्यालय प्राचार्य, शासकीय श्री कृष्णाजीराव पवार स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय देवास (म.प्र.)

फोन / फेक्स 07272–221826

Email – kpcollegedewas09@yahoo.com, hegkppgcdew@mp.gov.in

NAAC Accreditation - 'A' Grade

देवास, दिनांक 11.11.2021

विज्ञप्ति

महाविद्यालय में जनभागीदारी योजना अंतर्गत संचालित स्ववित्तीय पाठयक्रम एवं परंपरागत पाठ्यक्रम में सत्र 2021–22 हेतु आमंत्रण के माध्यम से सैद्धांतिक एवं प्रयोगिक अध्यापन कार्य अतिथि विद्वानों से करवाया जाना है। जिसमें गुणानुक्रम एवं निर्धारित मापदण्ड मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा समय –समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगा, जिसका विवरण इस प्रकार है–

क्र.	विषय	पद	मानदेय	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ
1	बी.कॉम.कम्प्यूटर एप्लीकेशन	1	10000 / –	यूजीसी द्वारा निर्धारित योग्यता
2	अंग्रेजी	1	8000 / –	यूजीसी द्वारा निर्धारित योग्यता
3	हिन्दी	1	8000 / –	यूजीसी द्वारा निर्धारित योग्यता

योग्यता संबंधी निर्देश एवं शर्तें–

1. यह आमंत्रण आधारित शैक्षणिक व्यवस्था पूर्णतः अस्थाई हैं। यह व्यवस्था मध्यप्रदेश शासकीय सेवा का भाग नही हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करने वाला व्यक्ति किसी भी हैसियत से महाविद्यालय स्थापना के अंतर्गत नही माने जाएगें और लोक सेवक की विधि–विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नही माने जायेगें तथा सत्रांत तक अतिथि विद्वान ही रहेगें ।
2. अर्हता प्राप्त आवेदक अपने आवेदन के साथ प्रमाण पत्रों की सत्य प्रतिलिपि लगाते हुए रजिस्टर्ड पोस्ट / स्पीड पोस्ट / कुरियर / वाहक / स्वयं के द्वारा भेजें। विज्ञापन के अंतिम प्रकाशन की तिथि से 07 दिनों में आवेदन कार्यालय में पहुचना चाहिए। लिफाफे पर आवेदित पद एवं विषय का उल्लेख होना आवश्यक है।
3. आवश्यक अर्हताएँ / अधिभार म.प्र.शासन उच्च शिक्षा विभाग एवं यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित नवीनतम आदेशानुसार लागू होगी एवं आमंत्रण व्यवस्था पूर्णतः मैरिट सूची अनुसार रहेगी।
4. विभिन्न पदों की संख्या एवं मानदेय राशि का निर्धारण जनभागीदारी समिति द्वारा किया जायेगा एवं निर्धारित नवीनतम आदेशानुसार परिवर्तन का पूर्ण अधिकार जनभागीदारी समिति को रहेगा।
5. आमंत्रित उमीदवारों द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन संतोषजनक न होने पर या अनुशासन संबंधी विवाद की स्थिति में शैक्षणिक व्यवस्था समाप्त करने का अधिकार महाविद्यालय,जनभागीदारी समिति के सचिव हो रहेगा यह निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य रहेगा।
6. आवेदन का प्रारूप महाविद्यालय की वेबसाईट................ पर उपलब्ध है।
7. आयकर अधिनियम अनुसार प्रदत्त राशि में से टी.डी.एस. किया जायेगा।

प्राचार्य एवं सचिव
जनभागीदारी समिति, श्री कृ.प.शासकीय
स्नातकोत्तर महाविद्यालय देवास (म.प्र.)